भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4803
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र एफडीए के निर्देशों की वैधता

†4803. डॉ. मल्लू रविः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने महाराष्ट्र एफडीए के निर्देश पर चिंता जताई है और इसे बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास इस निर्देश की सुरक्षा और वैधता के संबंध में चिकित्सकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित आधुनिक औषध विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले होम्योपैथिक चिकित्सक महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1965 (जैसा कि 2014 में संशोधित किया गया है) के सेक्शन 2(डी) के तहत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आरएमपी) की परिभाषा में आते हैं, जिससे वे एलोपैथिक दवाएँ लिखने के पात्र हो जाते हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने दवा खुदरा विक्रेताओं को इन पंजीकृत चिकित्सकों के पर्चे पर दवाएँ देने का निर्देश दिया है। इस निर्देश को भारतीय चिकित्सा संघ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

*****